न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 115/2018

1 महेन्द्र पुत्र सरदाराराम।
2 लालचन्द पुत्र मोहन।
3 सत्यवान पुत्र गजुराम।
4 कुशलाराम पुत्र गजुराम।
5 शेरसिंह पुत्र गजुराम।
6 प्रभू सिंह पुत्र गजुराम।
7 भाती देवी पत्नी भागीरथ।
8 राजेन्द्र पुत्र भागीरथ।
9 धर्मेन्द्र पुत्र भागीरथ समस्त जाति जाट निवासीगण नेतरामपुरा तन जाखोद, तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामकुमार पुत्र गुगन।
2 सुरजी पुत्री सरदाराराम।
3 रमेश पुत्र भागीरथ समस्त जाति जाट निवासीगण नेतरामपुरा तन जाखोद तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ प्रार्थना पत्र उनवानी रामकुमार बनाम मृतक सरदाराराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 8/2013 निर्णय दिनांक 30.10.2018

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 8/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तत्कालीन अदालत मातहत चिड़ावा के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत दिनांक 19.06.2012 को रामस्वरूप, शुभराम, हंसकोरी, हरचन्द व रेस्पोडेंट संख्या 4 के विरूद्व प्रस्तुत किया। इसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तत्कालीन अदालत मातहत के समक्ष आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया और उसके साथ संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त संशोधित प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट संख्या 2 से 9 व स्व. सरदाराराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत ने इसके बाद उक्त प्रकरण तत्कालीन अदालत मातहत से नवसर्जित अदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ में दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं ... सीकर

01.10.2013 को दर्ज हुआ। दौराने सुनवाई अनावेदक सरदारराम का देहान्त होने पर उसके वारिसान अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 को रिकार्ड पर लिया जावे। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 को अपने निर्णय दिनांक 30.10.2018 के द्वारा स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामील सम्यक नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन में रास्ता दुसरी जगह से मांगा था पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन पेश कर दुरूस्त करवा लिया। विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 87, 107,154/105 में से रास्ता मांगा था। जबकि खसरा नम्बर 109,110 में से दे दिया गया है। यह विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय में अपीलांट 1 से 4 व 6 से 9 को कोई नोटिस ही नही दिया गया है। अपील स्वीकार कर नियम 69 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(1) पेज 423, आर. आर.टी. 2016(1) पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1,2,3 से 5, 7 से 9 की और से कोई जवाब एवं आपत्ति पेश नही की गई है। केवल प्रभू सिंह को आपत्ति है। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को प्रभू सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत कर चुनौती नही दी है अब अपील में आपत्ति का कोई औचित्य नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तामिली नोटिस संलग्न है सम्यक तामिल है। जानबुझकर अनुपस्थित रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। निर्णय की पालना हो चुकी है। अपील सारहीन है। अपने कथनों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अधिकारी
सीकर ...

समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 706 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट संख्या 1,2,3 से 5, 7 से 9 की और से कोई जवाब एवं आपत्ति पेश नही की गई है। केवल प्रभू सिंह को आपत्ति है। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को प्रभू सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत कर चुनौती नही दी है अब अपील में आपत्ति का कोई औचित्य नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तामिली नोटिस संलग्न है सम्यक तामिल है। जानबुझकर अनुपस्थित रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। निर्णय की पालना हो चुकी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाकर विवेचन करते हुये विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इस निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर